

जज अदालत न्यायालय अति. जिला कलेक्टर मुकाम झुझु

जीवराज सिंह पुत्र गीग सिंह नि. पौख बनाम राजस्थान सरकार

तहसील - उदयपुरवाही नं. 01 सन् 2021

किसम मुकदमा विविध पार्चना पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/01/2021	<p>यह स्थानान्तरण पार्चना पत्र मय शपथ पत्र की जीवराज सिंह निवासी पौख द्वारा प्रस्तुत करने पर वाक जांच रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पार्ची जीवराज सिंह को सुना गया। पार्ची का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाही में उसका मु. न. 37/2028 अ. धारा 91 LR Act में विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 20/1/2021 नियत है। पार्ची का कथन है कि राजनैतिक दबाव के कारण तहसीलदार उदयपुरवाही द्वारा पार्ची के विकट धारा 91 LR Act की सुठी कार्यवाही कि गई है। तहसीलदार उदयपुरवाही राजनैतिक दबाव में है पार्ची को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से न्याय की उम्मीद नहीं है, अतः प्रकरण अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने का निवेदन किया तथा पार्चना पत्र के साथ अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।</p> <p>पार्ची को सुना गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन है। पार्ची द्वारा पार्चना पत्र में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया कि किसका क्या राजनैतिक दबाव है सिर्फ आशंका के आधार पर सिर्फ मौखिक कथन अंकित किये गये हैं ऐसी स्थिति में पार्चना पत्र के तथ्यों एवं परिस्थितियों देखते हुये पार्चनापत्र</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>2 शान्तिपुर प्रथम दृष्टया आधार हीन होने के कारण इसी स्टेज पर स्वारिज किया जाता है। आदेश सुनया गया। प्रार्थना पत्र फौसल श्रुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा वायद तकमील धाएला दाखिल इफतर हो / 43</p> <p style="text-align: center;"><b>अति. जिला कलेक्टर</b> शुभानु</p>	